GOVT. AGRASEN COLLEGE BILHA

DISTT. -BILASAPUR (C.G.)

Ph. - 07752 - 259175
Email - govtagrasencollegebilha89@gmail.com

Code of Conduct for the Students of Govt. Colleges in Chhattisgarh

1. The students will come to college in decent uniform. They will not wear any indecent or obscene dress in any situation.
2. The students will devote full attention to studies and cooperate in co-curricular activities organized by the college.
3. They will behave with decency in the college campus. They will not indulge in indecent behavior, abusive language or any sort of violence.
4. They will behave with all members of staff with decency and decorum.
5. It is the moral duty of all students to keep the college campus clean and green. They will lead a simple and frugal life.
6. Use of the alcohol or any kind of intoxicant is strictly prohibited in the campus.
7. Spitting here and there in the college or to write anything obscene or objectionable on the wall or to make the campus or wall dirty is strictly prohibited. If any student is found to be indulging in any antisocial or criminal activity, he will be severely punished as per the law.
8. The students will not create any terror or violence or illegal movement for their demands, they will not take active part in politics and will not take the help of any political party or news paper for getting their demands fulfilled.
9. The use of Mobile is prohibited in the college.

प्राचार्य
शासकीय अग्रसेन महाविद्यालय
बिल्हा जिला- बिलासपुर (छ.ग.)

GOVT. AGRASEN COLLEGE BILHA

DISTT. -BILASAPUR (C.G.)

Ph. - 07752 - 259175
Email - govtagrasencollegebilha89@gmail.com

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए आचार संहिता

सामान्य नियम –

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा

1. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होना चाहिये छात्राओं के लिए सलवार, कुर्ता, ओढ़नी शालीन वेशभूषा होगी।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों को भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।
3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार, असंसदीय भाषा का प्रयोग, गाली-गलौच, मारपीट या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा।
5. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है, वह सरल निर्व्यसन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा।
6. महाविद्यालय की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा।
7. महाविद्यालय में इधर-उधर थूकना, दीवालों को गंदा करना या गंदी बातें लिखना सख्त मना है। असमाजिक तथा अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
8. विद्यार्थी अपनी माँगों का प्रदर्शन आंदोलन, हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेंगे। विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिये राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।
9. महाविद्यालय परिसर में मोबाईल का उपयोग पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा।

अध्ययन संबंधी नियम –

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा यह एन.सी.सी. / एन.एस.एस. में भी लागू होगी अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानीपूर्वक करेगा तथा उनको स्वच्छ रखेगा।
3. ग्रंथालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्णतः पालन करेगा, उसे निर्धारित संख्या में सही पुस्तकें प्राप्त होगी तथा समय से नहीं लौटाने पर निर्धारित दण्ड देना होगा।
4. अध्ययन से संबंधित किसी भी कठिनाई के लिये वह गुरुजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।
5. व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशालाओं या वाचनालय में पंखे, लाईट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि का तोड़फोड़ करना दण्डात्मक आचरण माना जायेगा।

परीक्षा संबंधी नियम –

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई परीक्षाओ, त्रैमासिक तथा अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है।
2. अस्वस्थतावश आतंरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरांत परीक्षा देगा।
3. परीक्षा में या उसके संबंध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ होने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा। जिस पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

शासकीय अग्रसेन महाविद्यालय बिल्हा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र –

1. यदि छात्र अनैतिकता मूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना प्रतिशोध अधिनियम 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग के लिये प्रेरित करने पर पाँच साल तक कारावास की सजा या पांच हजार रुपये जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
3. यदि विद्यार्थी समय-सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता तो उसका नाम काट दिया जायेगा।
4. यदि विद्यार्थी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जायेगा।
5. महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में उसके पालक अभिभावक का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।

1. यदि छात्र अनैतिकता मूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया जाता है तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया जाता है तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना प्रतिरोध अधिनियम 2001 के अनुसार रैगिंग किए जाने पर अथवा रैगिंग के लिए प्रेरित करने पर पाँच साल तक का कारावास की सजा या पाँच हजार रुपये जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
3. यदि विद्यार्थी समय सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता है तो उसका नाम काट दिया जायेगा।
4. यदि विद्यार्थी प्रार्थना-पत्र अथवा आवेदन-पत्र में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत तथ्य प्रस्तुत करेगा, तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जायेगा।
5. महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन-पत्र में उसके पालक या अभिभावक के घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।

शासकीय अग्रसेन महाविद्यालय ★ बिल्हा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) ★

प्राचार्य
शासकीय अग्रसेन महाविद्यालय
बिल्हा जिला- बिलासपुर (छ.ग.)